न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 08/2024
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/44

प्रार्थी :–

राज्य सरकार, जरिये प्रवर्तन अधिकारी, द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री धनपाल पुत्र हुरजी निवासी रतनपुरा तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा

उपस्थित – विभागीय पैरोकार

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952

दिनांक :– 27–03–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्री धनपाल/ हुरजी उचित मुल्य दुकान रतनपुरा भाग प्रथम (पोस कोड 6263) की जांच राशन वितरण के दौरान श्री धर्मेन्द्र रोत प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 11.09.2022 को की गई। जांच में उक्त उचित मुल्य की दुकान पोस मशीन 6263 के बी.पी.एल, अन्तयोदय एवं एपीएल का नियमित 16.96 क्विं. गेहूँ एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 18.41 क्विं. गेहूँ दर्ज पाया। जबकि भौतिक सत्यापन किये जाने पर 35.37 क्विं गेहूँ कम पाया गया। सितम्बर 2022 का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 87.40 क्विं गेहूँ थोक विक्रेता द्वारा आपुर्ति किया गया था, जो डीलर के गोदाम में स्टॉक नही पाया गया। रतनपुरा भाग प्रथम का कुल 122.77 क्विं. गेहूँ गबन किया जाना पाया गया।

श्री धनपाल/ हुरजी द्वारा उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत रतनपुरा भाग द्वितीय (पोस कोड 6264) वितरण कार्य भी अस्थायी रुप से किया जा रहा था। जिसकी जांच किये जाने पर 202.54 क्विं. गेहूँ गबन किया जाना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.05.01 10:54:13 IST
Reason: Self Attested

इस प्रकार डीलर द्वारा अनियमितताऐं कर राजस्थान खाद्य एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 (4) के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 02, 05, 06, 07, 08,

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

09, 11, 15 एवं 17सी का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने पर अप्रार्थी के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना आनन्दपुरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई।

अप्रार्थी डीलर श्री धनपाल/ हुरजी उचित मुल्य दुकान रतनपुरा भाग प्रथम पोस कोड 6263 का कुल 122.02 क्विं. गेहूँ एवं अस्थायी वितरण हेतु अधिकृत उचित मूल्य दुकान रतनपुरा भाग द्वितीय पोस कोड 6264 का 202.54 क्विं. गेहूँ का गबन किया गया। उक्त दोनो सेन्टरो का कुल 325.31 क्विं. गेहूँ की कीमत 27/– रु. प्रति किलो. की दर से राशि 878337/–रु. वसूली किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाकीदार को नोटिस दिनांक 12.07.2024 को नोटिस मय धारा 4 जनमांग अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र रुपया 878337/– रु. वसूली का जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 04.10.2024 को श्री दिनेश पुरी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश किया। दिनांक 13.11.2024 को अप्रार्थी की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया गया कि प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय द्वारा पुलिस थाना आनन्दपुरी जिला बांसवाडा में प्राथमिकी संख्या 253/ 2022 लेखबद्ध करायी थी। जिसमें पूर्ण अनुसंधान के उपरान्त पुलिस थाना आनन्दपुरी जिला बांसवाडा द्वारा मामला अदम वकुआ झुठ (तथ्य की भूल) की मानकर अंतिम नकारात्मक प्रतिवेदन श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। श्रीमान् जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा समान तथ्यो पर श्रीमान् से पब्लिक डिमांड प्रमाण पत्र जारी करवाया है। जो तथ्य स्वतंत्र अनुसंधान एजेन्सी द्वारा नकार दिये गये है व झुठ मान लिये गये है। उनके विरुद्ध श्रीमान् जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा कोई अपील अथवा अभ्यावेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। अपनी पैरवी का समुचित अवसर दिये बिना प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रवर्तन निदेशक की जांच रिपोर्ट का भी सत्यापन नही हुआ है। प्रवर्तन निदेशक व शिकायतकर्ता उपभोक्ताओ से जिरह का अवसर भी नही दिया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 11.09.2022 को उचित मुल्य दुकान का निरीक्षण करना बताया है जबकि कोविड 19 कोरोना वैश्विक महामारी राष्ट्र में व्याप्त थी। उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा हर जरुरतमंद को भोजन हेतु राशन सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये थे तथा उपभोक्ताओ को घर घर जाकर राशन वितरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.05.01 10:54:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

करने हेतु निर्देशित किया गया था। उस दौरान पोस मशिन व राशनकार्ड में ईन्द्राज की बाध्यता से भी छुट प्रदान की थी। इस कारण कुछ उपभोक्ताओ के राशनकार्ड में ईन्द्राज नही होना अनियमितता की श्रेणी में नही आता है।

तत्पश्चात् पेशी दिनांक 04.12.2024, 19.12.2024, 10.01.2025, 29.01.2025, 20.02.2025, 07.03.2025 को अप्रार्थी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। आज दिनांक 27.03.2025 को भी अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता को बार–बार रुक–रुक कर सायं 4.00 बजे तक आवाज लगवाई किन्तु अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एकक्षीय बहस सुनी। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि श्री धनपाल/ हुरजी उचित मुल्य दुकान रतनपुरा भाग प्रथम (पोस कोड 6263) की जांच राशन वितरण के दौरान श्री धर्मेन्द्र रोत प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 11. 09.2022 को की गई। जांच में उक्त उचित मुल्य की दुकान पोस मशीन 6263 के बी.पी.एल, अन्तयोदय एवं एपीएल का नियमित 16.96 क्विं. गेहूँ एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 18.41 क्विं. गेहूँ दर्ज पाया। जबकि भौतिक सत्यापन किये जाने पर 35.37 क्विं गेहूँ कम पाया गया। सितम्बर 2022 का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 87.40 क्विं गेहूँ थोक विक्रेता द्वारा आपुर्ति किया गया था, जो डीलर के गोदाम में स्टॉक नही पाया गया। रतनपुरा भाग प्रथम का कुल 122.77 क्विं. गेहूँ गबन किया जाना पाया गया।

श्री धनपाल/ हुरजी द्वारा उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत रतनपुरा भाग द्वितीय (पोस कोड 6264) वितरण कार्य भी अस्थायी रुप से किया जा रहा था। जिसकी जांच किये जाने पर 202.54 क्विं. गेहूँ गबन किया जाना पाया गया।

इस प्रकार डीलर द्वारा अनियमितताऐं कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 (4) के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 02, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 15 एवं 17सी का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने पर डीलर के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत् डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना आनन्दपुरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.05.01 10:54:13 IST
Reason: Self Attested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अप्रार्थी डीलर श्री धनपाल/ हुरजी उचित मुल्य दुकान रतनपुरा भाग प्रथम पोस कोड 6263 का कुल 122.02 क्विं. गेहूँ एवं अस्थायी वितरण हेतु अधिकृत उचित मूल्य दुकान रतनपुरा भाग द्वितीय पोस कोड 6264 का 202.54 क्विं. गेहूँ का गबन किया गया। उक्त दोनो सेन्टरो का कुल 325.31 क्विं. गेहूँ की कीमत 27/– रु. प्रति किलो. की दर से राशि 878337/–रु. वसूली किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 स्वीकार करने निवेदन किया गया।

हमने एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी डीलर श्री धनपाल/ हुरजी उचित मुल्य दुकान रतनपुरा भाग प्रथम पोस कोड 6263 का कुल 122.02 क्विं. गेहूँ एवं अस्थायी वितरण हेतु अधिकृत उचित मूल्य दुकान रतनपुरा भाग द्वितीय पोस कोड 6264 का 202.54 क्विं. गेहूँ का गबन किया गया। उक्त दोनो सेन्टरो का कुल 325.31 क्विं. गेहूँ उपभोक्ताओ को वितरीत नही करके खुर्द बुर्द किया है। इस प्रकार डीलर द्वारा अनियमितताऐं कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 (4) के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 02, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 15 एवं 17सी का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना आनन्दपुरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। विभागीय प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जाकर पाई गई अनियमितताओ के आधार पर निर्णय किया जाकर जिला रसद कार्यालय के निर्णय दिनांक 16.01.2023 द्वारा अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 863/1996 निरस्त किया गया है। अप्रार्थी डीलर श्री धनपाल/ हुरजी उचित मुल्य दुकान रतनपुरा भाग प्रथम पोस कोड 6263 का कुल 122.02 क्विं. गेहूँ एवं अस्थायी वितरण हेतु अधिकृत उचित मूल्य दुकान रतनपुरा भाग द्वितीय पोस कोड 6264 का 202.54 क्विं. गेहूँ खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया है। जिससे राजकीय हानि होना पाया जाता है। अप्रार्थी के जवाब अनुसार उक्त मामले में उपलब्ध साक्ष्यो से अदम वाकुवा मामला झुठ का पाये जाने से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाडा के न्यायालय में नकारात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाडा द्वारा उक्त ... को स्वीकृत करने का अप्रार्थी की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार उक्त दोनो सेन्टरो का कुल 325.31 क्विं. गेहूँ की

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.05.01 10:54:13 IST
Reason: Self Attested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

राशि विभाग अनुसार 878337/– रु. बनती है तथा उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत मांग कायम कर वसूल किया जाना उचित पाता हुं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी श्री धनपाल/ हुरजी उचित मुल्य दुकान रतनपुरा भाग प्रथम, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत 325.31 क्विं. गेहु, की राशि विभाग अनुसार 878337/– रु अक्षरे रुपया आठ लाख अठहत्तर हजार तीन सौ सैतीस मात्र की वसूली के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.05.01 10:54:13 IST
Reason: SelfAttested